

F.13/225/18.1/15

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय:- वाचिका क्रमांक WP 2426/15 - सीमा  
संपूर्ण मारवाड़ा व्याख्याता जिला  
उज्जैन।

विद्यमान गति संकटा में फामलिन  
असफल आदिवासी विकास मन्त्रालय  
से रिट अपील की अनुमति हेतु निर्दिष्ट प्रकार  
से तस्फिका शासकीय अधिकारिता का सीमित  
साहित्य प्रभाव प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत है।  
कृपया उपलोकनार्थ संवत् २०१६

वाचिका क्रमांक 2426/15 द्वारा  
सीमा संपूर्ण मारवाड़ा व्याख्याता  
जिला उज्जैन विरुद्ध म. प्र. शासन में  
माननीय उच्च व्याख्यात इन्दौर द्वारा  
पारित आदेश दिनांक २.१.१५ के  
विरुद्ध रिट अपील दायर करने का  
प्रस्ताव C.T.D. द्वारा प्रेषित किया  
गया है। उक्त प्रस्ताव पर मान.  
मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन  
दिया गया है। अतः रिट अपील  
दायर करने की अनुमति प्राप्त करने  
हेतु नस्ली "विधि विभाग" को  
अंत्रित करना चाहेंगे।

Y.S.

विधि विभाग

R. J. J. J.  
8.3.16

7735  
C.P.



F13/225/15/125

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- प्राचिण कलाएं op 2426/15 - सीमती  
तपुजा सारदा लव/15/15, जिला  
3007/1

का विभाग



विषय-याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 2426 / 15 श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता जिला उज्जैन  
पूर्व पृष्ठ से :-

विषयांतर्गत, श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता (प्रतिनियुक्ति) पर शिक्षा विभाग में पदस्थ शा.क.उ.मा.वि. धानपंडी उज्जैन द्वारा आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु मा. उच्च न्यायालय इंदौर में रिट याचिका क्रमांक 2426 / 15 दायर की गई जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.15 में आदिवासी विकास विभाग द्वारा श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता का शिक्षा विभाग में पूर्व में की गई प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने वाले कार्यालयीन आदेश क्रमांक शिक्षास्था / 2 / 384 / 2044 / 23953 दिनांक 5.12.14 (प्रतिलिपि संलग्न) को अपास्त कर, योग्य पाये जाने पर श्रीमती भारद्वाज का शिक्षा विभाग में संविलियन करने हेतु आदेश पारित किया गया है। मा.उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत याचिका में शिक्षा विभाग के साथ-साथ आदिवासी विकास विभाग को प्रत्यार्थी बनाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पारित निर्णय के विरुद्ध रिट अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

2. प्रस्तुत याचिका में पारित निर्णय दिनांक 2.9.15 का पालन नहीं होने से अवमानना याचिका क्रमांक 853 / 15 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संक्षेपिका तथा शासकीय अधिवक्ता का अभिमत पत्र दिनांक 14.10.15 को छाया प्रति संलग्न है। कृपया रिट अपील किये जाने बाबत विधि विभाग से अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

प्रति

प्रमुख सचिव  
म0प्र0 शासन  
आदिम जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय

आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

प्र. अनंताहर दत्त

म. नि. को

26/2/16

folder khuraiya 30-4-2015

मंत्री  
आदिम जाति तथा अनु.जाति क.विभाग  
मध्यप्रदेश शासन

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

PS(G)

वि. प्र. को.

3/3/16

3/3/16

6148/25/700  
3-3-16  
UNO-4500  
23/3/16

जाचक क्र. 1500  
दिनांक 3/3/2016

6148/25/700  
3-3-16  
UNO-4500  
23/3/16



118

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH:**

**BENCH AT INDORE**

**BEFORE S. B. HON'BLE MRS. JUSTICE S.R. WAGHMARE**

**Writ Petition No.2426/2015**

Smt. Sampurna Bhardwaj

vs.

State of Madhya Pradesh and 6 others



Shri Shri Ajay Gupta, learned Counsel for the petitioner  
Ms. Mini Ravindran, learned Govt. Advocate for the  
respondents/State.

**ORDER**

Passed on 2- / 09/2015

**Per Mrs. S.R. Wagmare, J.**

By this petition under Article 226 of the Constitution of India, petitioner Smt. Sampurna Bhardwaj has challenged the order dated 5/12/2014 whereby instead of absorbing the petitioner's services, she has been transferred on deputation and there is a repatriation order, which is bad in law.

02. Briefly stated the facts of the case are that the petitioner was initially appointed on the post of



**सुधीर कुमार जैन**  
संभागीय उपायुक्त

429-2016-2  
दूरभाष एवं फैक्स कार्यालय 0734-2530901

## कार्यालय संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास उज्जैन संभाग उज्जैन

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/संउ/आजा/...237  
उज्जैन, दिनांक 09/02/2016

विषय :- अवमानना प्रकरण क्रमांक 858/15 श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज  
व्याख्याता जिला उज्जैन विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य ।

**आदरणीय महोदय,**

आपका कार्यालयीन  
पत्र क्रमांक/स्था.  
/2/369/2016/  
2843 भोपाल दिनांक  
5.2.2016

कृपया पार्श्व में अंकित पत्र का अवलोकन कीजिये । विषयांकित प्रकरण में आपके स्तर से संदर्भित पत्र के संलग्न प्राप्त अभिलेखों के साथ वादोत्तर प्रस्तुत करने हेतु शासकीय अधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में समक्ष में उपस्थित होकर सम्पर्क किया गया । शासकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती संपूर्णा भारद्वाज व्याख्याता के याचिका प्रकरण क्रमांक 2426/15 में मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में याचिकाकर्ता को आपके द्वारा दिनांक 22.12.2015 को समक्ष में सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई किन्तु याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुई । पुनः आपके द्वारा दिनांक 1.1.2016 को उपस्थित होने हेतु संबधित श्रीमती भारद्वाज को सूचना दी गई जिसके पालन में वह बिना अभिलेख के साथ आपके समक्ष में उपस्थित हुई एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 5.1.2016 का समय मांगा गया जो आपके द्वारा दिया गया, परन्तु श्रीमती भारद्वाज नियत दिनांक 5.1.2016 को आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण में समक्ष में सुनवाई नहीं हो सकी है ।

अतः प्रकरण में पुनः याचिकाकर्ता श्रीमती भारद्वाज को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अभिलेख सहित समक्ष में सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबद सूचना पत्र जारी किये जाने के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है ।

अतः शासकीय अधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार उक्त अवमानना प्रकरण में याचिकाकर्ता

*(Signature)*

317  
12/2/16

50 वि.प्र.का.

0.3.16

12/3/16



430

(2)

श्रीमती भारद्वाज को अभिलेख सहित समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि आगे न बढ़ाने और शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु श्रीमती भारद्वाज की सेवाएं उपलब्ध न करा पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक स्पीकिंग आदेश आपके स्तर से पारित करने का कष्ट करें ताकि उक्त अवमानना याचिका प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा सके ।

2/1/16

भवदीय,

*[Signature]*

09/2/16  
( सुधीर कुमार जैन )

प्रति

श्री शोभित जैन,  
आयुक्त  
आदिवासी विकास  
म0प्र0भोपाल

23/2/16  
जावक क्र 1500  
दिनांक 3/03/2016  
folder kh  
PSU  
[Signature]